रजिस्ट्री सं. डी. एस.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 1995/ज्यैष्ठ 17, 1917
No. 249] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 1995/JYAISTHA 17, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 1995

सं. 113/95-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 486 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/94—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रारंभिक पैरा में,

(अ) "वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) जब उनका भारत में आयात पर्यटकों के लिए परिवहन

की व्यवस्था करने के लिए विनिर्दिष्ट आयातकर्ताओं द्वारा (जिन्हें इसके पश्चात् आयातकर्ता कहा गया है) किया जाएगा :—

(क) उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त माल पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा-शुल्क से जितना मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन वातानुकूलित कोचों पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, "शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "वातानुकूलित कोचों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) जब उनका भारत में आयात पर्यटकों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के लिए विनिर्दिष्ट आयातकर्ताओं द्वारा (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् आयातकर्ता कहा गया है) किया जाएगा, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन वातानुकूलित कोचों पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, "शब्दों", कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ब) "(3) वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों का सी.आई.एफ. मूल्य क्रमशः 35,000 अमरीकी डालर और 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं" कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "(3) वातानुकूलित कोचों का सी.आई.एफ. मूल्य 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 346/2/94-टी.आर.यू.]

राजीव तलवार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 1995

NO. 113/95-CUSTOMS

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 73/94-Customs, dated the 1st March, 1994, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph,—

(a) for the words, brackets and figures "air-conditioned cars and air-conditioned coaches (hereinafter referred to as the said goods), falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of (1975), when imported into India by specified importers (hereinafter referred to as the importer) for providing transport for tourists, from—

(i) so much of the duty of customs leviable on the said goods, which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 50% ad valorem ; and

(ii) the whole of the additional duty leviable on air-conditioned coaches under section 3 of the said Customs Tariff Act,",

the words, brackets and figures "air-conditioned coaches (hereinafter referred to as the said goods), falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India by specified importers (hereinafter referred to as the importers) for providing transport for tourists from the whole of the additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act." shall be substituted ;

(b) for the brackets, figures, letters and words "(3) the C.I.F. value of airconditioned cars and airconditioned coaches does not exceed US $ 35,000 and US $ 1,00,000 per vehicle respectively.", the brackets, figures, letters and words "(3) the C.I.F. value of air-conditioned coaches does not exceed US $ 1,00,000 per vehicle," shall be substituted.

[F. No. 346/2/94-TRU.]

RAJIV TALWAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995